

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

क्र०	मद	विवरण
	परियोजना विवरण	जनपद सीतापुर में ग्राम-पुरैनी, बहराइच-बिसवाँ मार्ग किमी० 62 के मध्य दायी पटरी पर खसरा संख्या 314 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० कें रिटेल आउटलेट निर्माण में पहुँच मार्ग बनाने हेतु 0.0741 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
(ii)	जिला	सीतापुर।
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.0741 हे०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी)
(vi)	हरियाली का घनत्व	ओपेन फारेस्ट 0.1%
(vii)	प्रजातिवार {वैज्ञानिक नाम } और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	प्रभावित वृक्षों की संख्या शून्य है
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल भूमि होने के कारण भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है ।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है {यदि हों, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए }	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें ।	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो	प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य